DOON UNIVERSITY
NEWSPAPER CLIPPING SERVICES

ऐतिहासिक : स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड

उत्तराखंड में यूसीसी लागू

देहरादून,मुख्य संवाददाता। उत्तराखंड में धामी सरकार ने सोमवार को इतिहास रच डाला। राज्य में बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता(यूसीसी) लागू कर दी गई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने की अधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि आज का दिन प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारत वर्ष के लिए ऐतिहासिक है। इसी के साथ गृह विभाग ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी।

सोमवार को सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में यूसीसी लागू करने के लिए समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने विधिवत तौर पर यूसीसी की अधिसूचना का अनावरण, यूसीसी पोर्टल ucc.uk.gov.in का शुभारंभ व यूसीसी नियमावली बुकलेट का विमोचन किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता करोड़ उत्तराखंडवासियों के सामने समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू करने की घोषणा कर रहा हूं। इसके लिए उन्हें हर्ष के साथ ही गर्व की भी अनुभूति हो रही है। अब राज्य में प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। सभी धर्म की महिलाओं को भी समान हक प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा, संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इससे उनके रीति-रिवाजों का संरक्षण हो सकेगा।

सीएम ने कहा कि वर्तमान समय को देखते हुए, लिव इन के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, चुगली की सूचना रजिस्ट्रार माता-पिता या अभिभावक को देगा। ये जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी। लिव इन से पैदा बच्चों को भी समान अधिकार दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी को लागू करने के लिए सरलीकरण के मूल मंत्र पर चलते हुए, ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, साथ ही स्पष्ट नियमावली भी लागू कर दी गई है। पूरा ध्यान रखा गया है कि इसके लिए किसी भी नागरिक को दिक्कत का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तय करने को विशेषज्ञ समिति ने 2.35 लाख लोगों से सम्पर्क साधा। प्रदेश में यूसीसी लागू करके राज्य सरकार, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ.बीआर आंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों को सच्ची भावांजलि दे रही है। इससे पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूसीसी के बारे में बताया। नियमावली समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने नियमावली के प्रावधानों की जानकारी दी। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा, राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कई विधायक, यूसीसी नियमावली समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह, प्रो. सुरेखा डंगवाल, मनु गौड़, अजय मिश्रा, शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

>समान नागरिक संहिता P3,4

मुख्यमंत्री धामी ने नियमावली का विमोचन करने के साथ लांच किया यूसीसी पोर्टल

देहरादून स्थित सीएम आवास में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी नियमावली की बुकलेट का विमोचन और यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ किया। • हिन्दुस्तान

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो पाई है। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंडवासियों की ओर से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का आभार व्यक्त किया।

27 जनवरी को मनाया जाएगा यूसीसी दिवस

मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि अब प्रदेश में हर साल 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में धारा 370, तीन तलाक, राम मंदिर को लेकर जितने संकल्प लिए गए थे, वे सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कराया शादी का पहला पंजीकरण

यूसीसी पोर्टल पर विवाह का सबसे पहला पंजीकरण मुख्यमंत्री धामी ने कराया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसका प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। इस मौके पर सीएम ने यूसीसी के तहत सर्वप्रथम पंजीकरण कराने वाले पांच लोगों को प्रमाणपत्र प्रदान किए।

12 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री ने की थी यूसीसी लाने की घोषणा

27 जनवरी 2025 को जारी हो गई प्रदेश में यूसीसी की अधिसूचना

छह माह तक शुल्क नहीं

जिन व्यक्तियों का विवाह यूसीसी के लागू होने से पूर्व पंजीकृत हो चुका है या तलाक की डिक्री घोषित हुई है या विवाह निरस्त हुआ हो, उनसे पहले छह महीने में किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

तीन तलाक पर रोक

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी जाति धर्म लिंग के आधार पर कानूनी भेदभाव समाप्त करने का संवैधानिक उपाय है। इसके जरिए महिला सुरक्षा व सशक्तीकरण सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही हलाला, तीन तलाक, इद्दत जैसी प्रथाओं पर रोक लगेगी।

बेटियों को समान अधिकार

यूसीसी में बेटियों को सम्पत्ति में समान अधिकार दिए गए हैं। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद न हो, इसके लिए मृतक की सम्पत्ति पर पत्नी, बच्चों और माता-पिता को समान अधिकार दिए गए हैं।

लिव-इन का पंजीकरण

यूसीसी लागू होने से पहले से स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। वहीं इसके लागू होने के बाद के लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को एक माह के भीतर पंजीकरण कराना होगा।

News paper – Hindustan
Date - 28.01.2025